संख्याः 545/18(1)/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

6 अक्टूबर

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांक र, 2005

विषयः—जनपद चम्पावत की तहसील पाटी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु पेयजल योजना के लिये वर्ष 2005—06 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1682/पेयजल—रा0स0/तह0—पाटी दिनांक 6 अगस्त, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चम्पावत की तहसील पाटी के आवासीय/अनावासीय भवनो के निर्माण हेतु पेयजल योजना के उपलब्ध कराये गये आगणन रु0 27.15 लाख का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त रु0 25.52 लाख (रु0 पच्चीस लाख बावन हजार मात्र) की लागत के आगणनों पर प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये इतनी ही धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

2— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

3— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4— एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पर्वू विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31—3—2006 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा और विलम्ब व अन्य कारणों से इसकी लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा।

...(2)

7– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

8– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानी जायेगी।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–आयोजनागत–051–निर्माण–03–तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–00–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1732/XXVII(3)/2005 दिनांक 24 सितम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
3– निजी सचिव, मुख्यमंत्री।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एंव संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल शासन।
5– अपर सचिव, नियोजना विभाग, उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
7– अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, चम्पावत।
8– वित्त अनुभाग–3
9– अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम, चम्पावत।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।